विधान परिषद के प्रथम सत्र-2025 के द्वितीय सोमवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-11 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
11.	(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि घर के अन्दर पालने वाले कुतों के लाइसेन्स बनाये जाते हैं ?	जी हाँ,
	(ख) यदि हाँ, तो जनपद-लखनऊ के जे0बी0 गार्डेन कालोनी पूर्वीदीन खेड़ा, पारा में कितने पालतू कुत्तों के लाइसेंस बनाये गये है, तथा कितनो के नहीं बनाये गये हैं ?	लखनऊ नगर निगम श्वान अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन उपविधि, 2003 के अन्तर्गत घर के अन्दर पाले जाने वाले कुत्तों के लाइसेन्स बनाये जाते हैं। जनपद-लखनऊ में स्थित जे0बी0 गार्डेन कालोनी पूर्वीदीन खेड़ा, पारा के श्वान पालकों द्वारा नगर निगम कार्यालय में अपने श्वान की अनुज्ञप्ति हेतु कोई ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन नहीं किया गया है। नगर निगम, लखनऊ की टीम द्वारा दिनांक-20.02.2025 को किये गये निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्र में अवैध श्वान पालने वाले निवासियों को नगर निगम श्वान अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन उपविधि, 2003 का उल्लंघन करने के आधार पर नोटिसें निर्गत की गयी है।
	(ग) क्या उक्त की सूची सदन की मेज पर रखेंगे?	जे0बी0 गार्डेन कालोनी पूर्वी दीन खेड़ा, पारा के अवैध श्वान पालकों की सूची निम्नवत् है: 1-श्री आर0 के0 श्रीवास्तव, निवासी-34 सेक्टर-4 2-श्री संजय टण्डन पुत्र डी0एम टण्डन 3-श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 राकेश 4-श्री विनय श्रीवास्तव, निवासी 33 सेक्टर-4 5-निवासी-सातवाटिका एण्ड आद्रिति, 57 ए जे0बी0 गार्डेन 6-श्री वैभव सक्सेना पुत्र स्व0 वीरेन्द्र सक्सेना, निवासी-110/10 7-श्रीमती रंजना पत्नी गिरजा शंकर, निवासी-113/ए 8-श्री नीरज पुत्र स्व0 दया किशोर, निवासी-14 बी 9-श्री मोहन श्याम पुत्र नवल किशोर, निवासी-25 जे0बी0 गार्डेन
	(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न ही नहीं उठता।

ए. के. शर्मा
मंत्री
नगर विकास विभाग।